न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः— अक्षत कुमार सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
885 / 2024	16.10.2024	05-12-2025

उनवान

1. संजय सोमानी आत्मज श्री श्यामसुन्दर सोमानी, निवासी सोमानी सदन, भदादा बाग के पिछे, भीलवाड़ा।
2. सविता गट्याणी धर्मपत्नी श्री नवरतनमल गट्याणी, निवासी 02—डी—7,8 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. लीला पत्नी हेमन्त कोठारी, निवासी बाईस्कोप के सामने, अजमेर रोड, सुभाषनगर, भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. **वादीया अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन।**
2. **विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं।**
3. **विपक्षी संख्या 02 पैरोकार सरकार उपस्थित।**

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में दुरूस्थी कराये जाने बाबत् :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 के मध्य विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम भदालीखेडा पटवार हल्का भदालीखेडा तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 793 रकबा 02 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के अनुसार खातेदार प्रेमलाल पिता नन्दा, लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रीयां नन्दा, प्यारी बेवा नन्दा, सुरजा, लादु, नारायण पिता कलां, कोयली बेवा कलां, गिरधारी, मांगु पिता देवा गुर्जर के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी, खातेदार प्रेमलाल पिता नन्दा, लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रीयां नन्दा, प्यारी बेवा नन्दा, सुरजा, लादु, नारायण पिता कलां, कोयली बेवा कलां गुर्जर का 1/2 आधा हिस्सा एवं खातेदार गिरधारी, मांगु पिता देवा गुर्जर का 1/2 आधा हिस्सा निहित था, खातेदार मांगू पिता देवा की मृत्यु के बाद जरिऐ नामान्तकरण संख्या 856 विरासत से गिरधारी पिता देवा, लांदी पुत्री देवा के नाम दर्ज हुई।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार गिरधारी पिता देवा, लादी पुत्री देवा गुर्जर का सम्पूर्ण हक हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण, सुमन पीपाड़ा धर्मपत्नि प्रेमसिंह पीपाड़ा एवं सविता गट्याणी धर्मपत्नि नवरतनमल गट्याणी ने मिलकर 1/2–1/2 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/4–1/4 हिस्सा जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2011 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2011 के आधार पर जरिए नामांन्तकरण संख्या 953 बेचान से सुमन पीपाडा धर्मपत्नि प्रेम सिंह पीपाड़ा एवं सविता गट्याणी धर्मपत्नि नवरतनमल गट्याणी के नाम दर्ज हुई खातेदार सुमन पीपाडा धर्मपत्नि प्रेमसिंह पीपाडा ने अपना हक हिस्सा सम्पूर्ण यानि उक्त आराजी में निहित 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 17.01.2012 को संजय सोमानी आत्मज श्यामसुन्दर सोमानी को विक्रय दिया है, विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2011 के आधार पर जरिऐ नामान्तकरण संख्या 1004 बेचान से संजय सोमानी आत्मज श्यामसुन्दर सोमानी के नाम दर्ज हुई खातेदार कोयली बेवा कलां गुर्जर की मृत्यु हो चूकी है, कोयली का हक हिस्सा जरिऐ नामान्तकरण से प्रेमलाल पिता नन्दा लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रीयां नन्दा प्यारी बेवा नन्दा, सुरजा लादु नारायण पिता कलां, उगमी, मगनी पुत्रीया कलां गुर्जर के नाम दर्ज हुआ, खातेदार प्रेमलाल पिता नन्दा लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रीयां नन्दा प्यारी बेवा नन्दा, सुरजा, लादु, नारायण पिता कलां, उगमी मंगनी पुत्रीया कलां गुर्जर का सम्पूर्ण हक व हिस्सा यानि 1/2 आधा हिस्सा सम्पूर्ण विपक्षी सख्या 01 लीला कोठारी धर्मपत्नि हेमन्त कोठारी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 21.12.2018 को क्रय किया जो जरिऐ नामान्तकरण से लीला कोठारी के नाम दर्ज हुई, उसी अनुसार प्रार्थीगण एव विपक्षी संख्या 01 एक अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करते आ रहे है किन्तु जमाबन्दी ऑन लाईन (सेग्रिगेशन के समय) प्रार्थी संख्या 01 संजय सोमानी का 1/4 हिस्सा प्रार्थी सख्या 02 सविता गट्याणी का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 लीला कोठारी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने के बजाय लिपिकीय त्रुटि, भूल वश एवं पूर्व की जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना ही, राजस्व रकॉर्ड से प्रार्थीगण का नाम हटा, आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि को विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दी गई है जिसे दूरस्थ कराये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का अलग–अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 1/2 आधा हिस्सा क्रय किया हुआ है, एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 ने क्रय किया है, इस अनुसार 1/4 हिस्सा प्रार्थी संख्या 01 संजय सोमानी, 1/4 हिस्सा सविता गट्याणी एवं 1/2 आधा हिस्सा विपक्षी सख्या 01 लीला कोठारी का राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा दर्ज होना चाहिए था किन्तु लिपिकीय त्रुटि, भूल वश एवं पूर्व की जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना ही जमाबन्दी ऑनलाईन (सेग्रिगेशन के समय) अपने मनकसूद तरीके से प्रार्थीगण का नाम हटाया गया है, जिसे

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

दुरस्थ कराये जाने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन किया किन्तु पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज कर, दुरस्थ करने से मना कर दिया एव न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दिनांक 12.09.2024 को दी गई जिससे प्रार्थीगण की ओर से राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी की जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर० एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम भदालीखेड़ा प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराया जाकर, प्रार्थी संख्या 01 संजय सोमानी का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 सविता गट्याणी का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी सख्या 01 लीला कोठारी का 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाकर, राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी करायें जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 28.02.2025 को एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 3039 दिनांक 01.09.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम भदालीखेड़ा प.ह. आरजिया मे वर्तमान जमाबंदी मे आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 अमन पुत्र विकास चौरडिया हिस्सा 67/253, नवरतन पुत्र कैलाश गट्टयानी बिहारी हिस्सा 119/506, लीला पत्नी हेमन्त कोठारी हिस्सा 1/2 दर्ज रेकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 793 रकवा 0.02 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के अनुसार खातेदार प्रेमलाल पिता नन्दा, लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रियां नंदा, प्यारी बेवा नन्दा, सुरजा, लादु नारायण पिता कलां, कोयली बेवा कला, गिरधारी, मांगु पिता देवा गुर्जर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, खातेदार प्रेमलाल पिता नन्दा लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रियां नन्दा प्यारी बेवा नन्दा, सुरजा, लादु, नारायण पिता कला, कोयली बेवा कलां गुर्जर का 1/2 हिस्सा एवं खातेदार गिरधारी, मांगु पिता देवा गुर्जर का 1/2 हिस्सा निहित था, खातेदार मांगू पिता देवा की मृत्यु के बाद जरिऐ नामान्तरकरण सख्या 865 विरासत से गिरधारी पिता देवा लादी पुत्री देवा के नाम दर्ज हुई, खातेदार गिरधारी पिता देवा, लादी पुत्री देवा गुर्जर का सम्पूर्ण हक हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा सुमन पीपाड़ा धर्मपत्नि प्रेमसिंह पीपाड़ा एवं सविता गटयाणी धर्मपत्नी नवरतनमल गटयाणी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.03.2011 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, विक्रय पत्र दिनाक 11.03.2011 के आधार पर जरिये नात्मान्तकरण संख्या 953 बेचान से सुमन पीपाड़ा धर्मपत्नी प्रेमसिंह पीपाड़ा एवं सविता गट्याणी धर्मपत्नी नवरतनमल गट्याणी के नाम दर्ज हुई, खातेदार सुमन पीपाड़ा धर्मपत्नी प्रेमसिह पीपाडा ने अपना हक सम्पूर्ण हक हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.01.2012 को संजय सोमानी आत्मज श्यामसुन्दर सोमानी को विक्रय कर दिया है, विक्रय पत्र दिनाक 17.01.2017 के आधार पर जरिए नामान्तकरण संख्या 1004 बेचान से संजय सोमानी आत्मज श्यामसुंदर सोमानी के नाम दर्ज हुई खातेदार कोयली बेवा कलां गुर्जर की मृत्यु के बाद कोयली का हक व हिस्सा जरिऐ नामान्तकरण 1191 से प्रेमलाल पिता नन्दा, लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रियां नन्दा, प्यारी बेवा नन्दा, सुरज,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

लादु, नारायण पिता कलां, उंगमी, मंगनी पुत्रीयां कलां गुर्जर के नाम दर्ज हुए खातेदार प्रेमलाल पिता नन्दा, लेहरी, शान्ता, गोरी पुत्रीयां नन्दा, प्यारी बैवा नन्दा, सुरजा, लादु नारायण पिता कलां उगमी, मंगनी पुत्रीयां कलां गुर्जर का सम्पर्ण हक व हिस्सा यानि 1/2 लीला कोठारी धर्मपत्नी हेमन्त कोठारी ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.7.2018 को क्रय किया जो जरिऐ नामान्तरकरण 1306 से लीला कोठारी के नाम दर्ज हुई किन्तु जमाबन्दी ऑनलाईन में (सेग्रीगेशन के समय) प्रार्थी संख्या 01 संजय सोमानी का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 सविता गटटानी का 1/4 एवं विपक्षी संख्या 01 लीला कोठारी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने के बजाय लिपिकीय त्रुटी भूलवश राजस्व रेकॉर्ड से प्रार्थीगण का नाम विलोपित होकर सम्पूर्ण भूमि में विपक्षी सख्या 01 का नाम दर्ज हो गया।

आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का अलग–अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 1/2 हिस्सा क्रय किया हुआ है एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 ने क्रय किया है, इस अनुसार 1/4 हिस्सा प्रार्थी सख्या 01 संजय सोमानी, 1/4 हिस्सा सविता गट्याणी, एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 लीला कोठरी का राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा दर्ज होना चाहिए था किन्तु लिपिकीय त्रुटी से भूलवश राजस्व रेकॉर्ड से प्रार्थीगण का नाम विलोपित होकर सम्पूर्ण भूमि में विपक्षी सख्या 01 का नाम दर्ज हो गया। नामान्तरकरण 1525 से लीला पत्नी हेमन्त कोठारी के बजाय नवरतन पुत्र कैलाश बिहारी गट्टानी हिस्सा 1/2 लीला पत्नी हेमन्त कोठारी हिस्सा 1/2 दर्ज रेकोर्ड हुआ तथा नामान्तरकरण 1535 से अमन पुत्र विकास चौरडिया हिस्सा 67/253, नवरतन पुत्र कैलाश गट्टानी बिहारी हिस्सा 119/506, लीला पत्नी हेमन्त कोठारी हिस्सा 1/2 दर्ज रिकोर्ड हुआ। चूंकि लीला पत्नी हेमन्त कोठारी ने अपना 1/2 हिस्सा नामान्तरकरण 1525 से विक्रय कर दिया था तों उसका अब कोई हिस्सा शेष नहीं रहना चाहिए। इसलिये वर्तमान जमाबन्दी में लीला पत्नी हेमन्त 1/2 के बजाय संजय सोमानी पिता श्यामसुन्दर सोमानी 1/4 हिस्सा सा0 सोमाणी सदन भदादा बाग के पिछे भीलवाडा, सविता पत्नी नवरतनमल 1/4 गट्याणी निवासी 2 डी 7, 8 आर0सी0 व्यास कॉलोनी दर्ज किया जाना उचित है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात् का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम भदालीखेड़ा प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराया जाकर, प्रार्थी संख्या 01 संजय सोमानी का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 02 सविता गट्याणी का 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी सख्या 01 लीला कोठारी का 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का अलग–अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 1/2 हिस्सा क्रय किया हुआ है एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 ने क्रय किया है, इस अनुसार 1/4 हिस्सा प्रार्थी सख्या 01 संजय सोमानी, 1/4 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

सविता गट्याणी, एवं 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 लीला कोठारी का राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा दर्ज होना चाहिए था किन्तु लिपिकीय त्रुटी से भूलवश राजस्व रेकॉर्ड से प्रार्थीगण का नाम विलोपित होकर सम्पूर्ण भूमि में विपक्षी सख्या 01 का नाम दर्ज हो गया। नामान्तरकरण 1525 से लीला पत्नी हेमन्त कोठारी के बजाय नवरतन पुत्र कैलाश बिहारी गट्टानी हिस्सा 1/2 लीला पत्नी हेमन्त कोठारी हिस्सा 1/2 दर्ज रेकॉर्ड हुआ तथा नामान्तरकरण 1535 से अमन पुत्र विकास चौरडिया हिस्सा 67/253, नवरतन पुत्र कैलाश गट्टानी बिहारी हिस्सा 119/506, लीला पत्नी हेमन्त कोठारी हिस्सा 1/2 दर्ज रिकोर्ड हुआ। चूंकि लीला पत्नी हेमन्त कोठारी ने अपना 1/2 हिस्सा नामान्तरकरण 1525 से विक्रय कर दिया था तो उसका अब कोई हिस्सा शेष नहीं रहना चाहिए। इसलिये वर्तमान जमाबन्दी में लीला पत्नी हेमन्त 1/2 के बजाय संजय सोमानी पिता श्यामसुन्दर सोमानी 1/4 हिस्सा सा0 सोमाणी सदन भदादा बाग के पिछे भीलवाडा, सविता पत्नी नवरतनमल 1/4 गट्याणी निवासी 2 डी 7, 8 आर0सी0 व्यास कॉलोनी दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम भदालीखेड़ा प०ह० आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 793 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि में लीला पत्नी हेमन्त कोठारी 1/2 के बजाय संजय सोमानी पिता श्यामसुन्दर सोमानी हि0 1/4 सा0 सोमाणी सदन भदादा बाग के पिछे भीलवाडा, सविता पत्नी नवरतनमल गट्याणी हि0 1/4 निवासी 2 डी 7, 8 आर0सी0 व्यास कॉलोनी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 05-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा